



उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, दुमका, झारखण्ड
जिला आपदा प्रबंधन कोषांग, दुमका

आदेश संख्या:-.....०१...../201१

सरकार के प्रधान सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभार) झारखण्ड सरकार राँची के पत्र संख्या 05/आ0 प्र0 (शीतलहर)-09/2017-73 (आ0) आ0 प्र0, राँची दिनांक 29/12/2017 द्वारा दर्शाये गये वजट शीर्ष के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में दुमका जिले के लिये उपायुक्त, दुमका को 2,50,000.00 (दो लाख पच्चास हजार) रुपये मात्र का आवंटन शीत लहरी से उत्पन्न स्थिति के कारण जिले के गरीबों एवं निःसहायों को शीतलहरी से बचाव हेतु आलाव आदि की व्यवस्था/सुविधा मुहैया कराने हेतु आवंटन प्राप्त है।

(2) उक्त आवंटित राशि की निकासी निम्न वर्णित वजट शीर्ष के अन्तर्गत की जाएगी।

वचत शीर्ष	आवंटित राशि
मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष -102- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध, उप शीर्ष-13- शीतलहरी से प्रभावित निःसहायों की साहायता अनुग्रह अनुदान, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-79-साहायता अनुदान सामान्य, विपत्र कोड-39S224580102130679.	2,50,000.00 (दो लाख पच्चास हजार) रुपये मात्र
कुल दो लाख पच्चास हजार रुपये मात्र	2,50,000.00

(3) कुल प्राप्त आवंटन 2,50,000.00 (दो लाख पच्चास हजार) रुपये मात्र निम्नलिखित जिले के पदाधिकारियों के नाम के सम्मुख राशि को उपावटित किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारियों के नाम	आवंटित राशि
1	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, दुमका	15,000.00
2	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वासुकीनाथ	10,000.00
3	अंचलाधिकारी दुमका	30,000.00
4	अंचलाधिकारी जामा	20,625.00
5	अंचलाधिकारी जरमुंडी	30,000.00
6	अंचलाधिकारी मसलिया	20,625.00
7	अंचलाधिकारी रामगढ़	20,625.00
8	अंचलाधिकारी रानेश्वर	20,625.00
9	अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा	20,625.00
10	अंचलाधिकारी काठीकुंड	20,625.00
11	अंचलाधिकारी गोपीकान्दार	20,625.00
12	अंचलाधिकारी सरैयाहाट	20,625.00
	कुल दो लाख पच्चास हजार रुपये मात्र	2,50,000.00

- (4) आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित अंचल अधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, दुमका/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वासुकीनाथ होंगे, जिनके द्वारा सभी जिला कोषागार से राशि की निकासी नियमानुसार की जाएगी।
- (5) सभी अंचल अधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, दुमका/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वासुकीनाथ अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रसंगाधीन भुगतान यथा निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। कोई A.C. Bill सृजित नहीं किया जायेगा।
- (6) आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय निर्धारित मद एवं मापदण्डों के अनुसार उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए राशि उपावटित की जा रही है। सही विपत्र कोड एवं कोषागार संहिता में प्रतिपादित विपत्र में ही अनुदान राशि की निकासी की जायेगी।
- (7) किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा। राशि की निकासी के तुरंत बाद विहित प्रपत्र में विवरण विभाग को समर्पित की जायेगी। राशि की निकासी नहीं होने की स्थिति में राशि प्रत्यार्पण 20 मार्च 2017 के पूर्व ऑन-लाईन करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
- (8).(i) व्यय के पश्चात विभाग को विहित प्रपत्र GFR19-A में संबंधित अंचल अधिकारी, दुमका जिला/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, दुमका/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वासुकीनाथ के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।
- (ii) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य शीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाय अन्यथा लेखा ऑकड़ों में वर्गीकरण त्रुटियों एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
- (iii) महालेखाकर से मासिक/त्रैमासिक एवं वार्षिक लेखा सत्यापन का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।
- (iv) संबंधित अंचल अधिकारी, दुमका जिला/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, दुमका/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वासुकीनाथ निकासी एवं व्यय पर नियंत्रण रखेंगे।

- (9)(क) निकासी का कार्य पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जवाब देह प्रशासन एवं गुणवत्ता पूर्ण सेवा की जाय इस क्रम में सभी भुगतान e-kyc/Addhar enabled A/C में ही किया जायेगा तथा अलाव जल रहा है, इसकी monitoring की जाय तथा पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का दायित्व तय हो।
- (ख) इसमें जन सहयोगिता PRI/ULB तथा NGO/CPSUs/ राज्य PSUs की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाय।
- (10) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी होगी कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है, जिसे किसी दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही हो तो उस राशि की निकासी रोक कर इसके निराकरण हेतु अविलम्ब सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
- (11) (क) झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम 174 (पुराना नियम 300) का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा। राशि कोषागार से निकालकर किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते में नहीं रखा जाय।
- (ख) वित्त विभागीय परिपत्र 2561 दिनांक 17/04/1998 पत्रांक-2522/वि0, दिनांक 24/10/2005 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-759, दिनांक 20/03/2015 का अक्षरशः पालन किया जाय।
- (ग) कोषागार संहिता/झारखण्ड वित्तीय नियमावली विभिन्न वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रों का अनुपालन किया जायेगा।
- (घ) स्रोत पर टैक्स कटौती के वित्त/वित्त (वाणिज्यकर)/आयकर अधिनियम इत्यादि की शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
- (ङ) अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जायेगा।
- (12) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखेंगे, अंकेक्षण आपत्तियों का प्राथमिकता से निष्पादन कराते हुए उसे drop करायेंगे। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पूर्व में इस मद के व्यय में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति (पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदन) हो तो उसका निराकरण कर लिया गया है। कोई लम्बित डी0 सी0 विपत्र हो तो तुरंत प्रेषित करेंगे।
- (13) राशि निकासी के तुरंत बाद व्यय प्रतिवेदन टी0 भी0 सं0 के साथ विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- (14) मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति कि अध्यक्षता में दिनांक:-28/12/2015 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि शीतलहर के तत्काल राहत हेतु अलाव मद में राज्य बजट से 62,25,000/- (बासठ लाख पच्चीस हजार) रुपये मात्र आवंटित की जाय।
- (14) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-220 (स्वी0), दिनांक-29/12/2017 में माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
- (15) प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाए।

हो
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :-...../01/2018

प्रतिलिपी:-कोषागार पदाधिकारी, दुमका/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद, दुमका/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, वासकीनाथ/सभी अंचल आधिकारी, दुमका जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारबाई हेतु प्रेषित।

हो
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :-...../01/2018

प्रतिलिपी:-आयुक्त, सन्ताल परगना प्रमण्डल, दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

हो
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :-...../01/2018

प्रतिलिपी:-सरकार के अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, (आपदा प्रबंधन प्रभाग) राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

हो
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांक:-...../आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :-...../01/2018

प्रतिलिपी:- महालेखाकर राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

हो
उपायुक्त,
दुमका

ज्ञांपांक:-.....02...../आ0 प्र0 को0, दुमका दिनांक :-.....15...../01/2018

प्रतिलिपी:-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस आदेश को दुमका जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

हो
उपायुक्त,
दुमका